JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

No. JPD/FA&COA/F.54/D. 57 Jaipur, dated 7.4.03

ORDER

In exercise of the powers conferred vide order No. JPD/CAO/ Rules/F. 246/D. 4221 dated 11.12.2001, the Chairman & Managing Director, Jaipur Discom, has been pleased to adopt Rajasthan Government's Circular/ order No. Pa.4 (2) / DOP/ Ka-2/ 91 dated 28.12.2002 (Copy enclosed) in the matter of determining seniority of employees.

By order,

(Anil Juneja)
F.A & Controller of Accounts

Copy to the following for information and necessary action:

1. The Secretary (Admn.) ,Jaipur Discom,Jaipur
2. The Chief Engineer(O&M)/(M&P)/(Comml.),Jaipur Discom Jaipur
3. The Dy.CE(MM),Jaipur Discom,Jaipur
4. The Add.S.P.(Vig.)/CAO/CPO,Jaipur Discom,Jaipur
5. The Superintending Engineer( ),Jaipur Discom,_____
6 The Company Secretary,Jaipur Discom,Jaipur
7 The PA to CMD/ WTD/FA&COA,Jaipur Discom,Jaipur

Asstt.Accounts Officer(Rules)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक: प.4(2)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 जयपुर, दिनांक: 28.12.2002

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्रादेश

भारत के संविधान के 85वें संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों पर पदोन्नत होने वाले इन वर्गों के कार्मिकों को पदोन्नति के साथ परिणामिक वरिष्ठता भी प्राप्त होगी। इस संशोधन को दिनांक 17.6.1995 से भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने के फलस्वरूप वरिष्ठता सूचियों को संशोधित किया जाना अपेक्षित होने के कारण इस विभाग के समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 10.1.2002 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सेवा/ संवर्ग के किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन नहीं किया जावे।

तत्पश्चात् परिपत्र दिनांक 15.4.2002 द्वारा एवं परिपत्रादेश दिनांक 6.7.2002 के द्वारा कुछ शर्तों के अध्यधीन पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अब इस सम्बन्ध में रिट पीटिशन (सिविल) संख्या 234/2002 अखिल भारतीय समानता मंच बनाम भारत सरकार एवं अन्य, में माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 11.11.2002 की ओर समस्त सम्बन्धितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान के 85वें संशोधन पर स्थगन दिया जाना सम्भव नहीं है एवम् अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकारें वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4–ए) के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति से भर सकतीं हैं। यह एक पूर्णतया अन्तरिम व्यवस्था होगी जो उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 11.11.2002 की अनुपालना में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 1.4.1997 के द्वारा सभी सेवा नियमों में किये गये सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा वरिष्ठता पुनः अर्जित करने सम्बन्धी प्रावधानों को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 28.12.2002 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, साथ ही जिन कार्मिकों को केच–अप–रूल (रिगेनिंग) के आधार पर पूर्व में पदोन्नति के साथ वरिष्ठता का लाभ प्राप्त हो चुका है, उनकी यथास्थिति रखे जाने हेतु भी नियमों में प्रावधान कर दिया गया है।

इस प्रकार समस्त विभाग वर्तमान में पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 1.4.1997 से लागू

4/2002

रिगेलिंग सिद्धान्त, जिसे अब विलोपित किया जा चुका है, से पूर्व की वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति से भर सकेंगे। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह सभी कार्यवाही पूर्णतया अन्तरिम व्यवस्था के रूप में होगी एवं इसके आधार पर की गई समस्त पदोन्नतियां माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन ही होंगी। अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को उपरोक्त निर्देशानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाता है।

आज्ञा से,

(चन्द्र मोहन मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम एवं द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव